

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 17144/2025

Rohit Meghwal @ Rohit Sansi S/o Sh. Mukesh Kumar Meghwal,
Aged About 21 Years, R/o Village Shree Krishnapura Jeet Ki
Dhani, Ward Number 11, P.s. Sadar Jhunjhunu. Presently Tenant
House No. 20, Govind Vihar, Gurjar Ki Thadi, P.s. Mansarover
Jaipur. (At Present In J.c. At District Jail, Jaipur).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Majhar Hussain
For Respondent(s)	:	Mr. Devi Singh, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

26/02/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना मानसरोवर, जिला—जयपुर शहर दक्षिण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 993/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 8/20 स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी—अभियुक्त का तर्क है कि उसे प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है तथा उसके आधिपत्य से 06 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद होना बताया गया है, जो व्यावसायिक मात्रा से कम है। प्रार्थी दिनांक 11.12.2025 से अभिरक्षा में है तथा उसके विरुद्ध पूर्व का जो एक आपराधिक प्रकरण संस्थित होना बताया गया है, वह 330 ग्राम गांजे से संबंधित होकर लघु मात्रा का है। प्रकरण में आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है तथा विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रकरण में अभियुक्त से 06 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। प्रार्थी-अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व का एक आपराधिक प्रकरण इसी प्रकृति का संस्थित है। अभियुक्त के विरुद्ध गम्भीर अपराध का अभियोग है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी-अभियुक्त के आधिपत्य से 06 किलो 200 ग्राम गांजे की बरामदगी हुई है, जो वाणिज्यिक मात्रा 20 किलो से कम है। प्रार्थी दिनांक 11.12.2025 से अभिरक्षा में है तथा उसके विरुद्ध पूर्व का एक आपराधिक प्रकरण संख्या 867/2025 पुलिस थाना मानसरोवर संस्थित होना बताया गया है, जो लघु मात्रा 330 ग्राम गांजे से संबंधित है। प्रकरण में आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है तथा अन्वीक्षा में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र सशर्त स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थनापत्र इस शर्त के साथ कि प्रार्थी-अभियुक्त भविष्य में इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी-अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रुपये का बन्ध-पत्र एवं पचास-पचास हजार रुपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

प्रार्थी-अभियुक्त को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रकरण के विचारण तक संबंधित पुलिस थाने में प्रत्येक माह की 10 तारीख को अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा। संबंधित थानाधिकारी उसकी उपस्थिति का विवरण प्रत्येक माह विचारण न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। अभियुक्त द्वारा उक्त शर्त की पालना नहीं करने पर विद्वान लोक अभियोजक अभियुक्त के जमानत निरस्तीकरण के संबंध में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेंगे।

(SHUBHA MEHTA),J